

By Speed Post



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 – 2788706(Dir.)/2786498(PME)



F.No. 17(1) Budding of Khejri saplings /RF /20-21/Adm.V

Dated:30.06.2020

Work Contract for budding and aftercare of khejri saplings on contract basis.

1. Last date and time for submission of tender : 09.07.2020 up to 03.00 p.m.
2. Date and time for opening the tender : 09.07.2020 at 03.30 p.m.

Note: *The tender form and other details are available on CAZRI website www.cazri.res.in The interested Agency/Contractor/firm of repute may download the tender document from CAZRI official website and submitted the ADMN-V, CAZRI, Jodhpur office by or before the due date & time.*

From:-

Assistant Administrative Officer,
Adm-V, CAZRI,
Jodhpur 342 003

To

M/s _____

Sub:- Tender Document for Work Contract for budding and aftercare of khejri saplings on contract basis under Revolving Fund Code No. 2050 5005 - regd.

Sir,

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited from interested Agency/Contractor/firm of repute for budding and aftercare of khejri saplings on contract basis under Revolving Fund Code No. 2050 5005. Other details and Terms & Conditions are enclosed herewith as Annexure-I & II.

2. The tender must be submitted to this Office by or before **Due Date i.e. 09.07.2020 up to 03.00 P.M.** by Courier/Registered Post/Speed Post in sealed cover, failing which it will not be considered.
3. The Tender is to be opened on **Due Date i.e. 09.07.2020 at 03.30 P.M.** at CAZRI, Jodhpur.

Yours faithfully,

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER (V)
For DIRECTOR

Encl: As above { Annexure-I & II }

तकनीकी बिड

(प्रपत्र- अ)

फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राइटर का नाम :
2. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता :
मैसर्स
.....
.....
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.
(ब) ई.मेल पता :
4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण :
(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर :
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :
7. जी,एस,टी, संख्या /सर्विस टैक्स नम्बर :
8. फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता :
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर:..... बैंक खाता नम्बर :
यदि डी.डी./बैंकर चैक है तो ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में
9. **धरोहर राशि (Earnest Money Deposit): Rs. 4000/-**
डी.डी./बैंकर चैक नं. दिनांकबैंक का नाम
10. निविदा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 09.07.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन खण्ड-पंचम् के टेन्डर बॉक्स में डलवावें। लिफाफे पर budding and aftercare of khejri saplings on contract basis लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 11- विस्तृत जानकारी हेतु देखें काजरी वेबसाइट: www.cazri.res.in& cpp portal

तकनीकी बिड
(प्रपत्र-स)

काजरी, जोधपुर के तैयार खेजरी के पौधों पर बडिंग का कार्य करना और बाद में उनकी देखभाल करने रेट कोन्टेक्ट संविदा के नियम एवं शर्तें

1. निदेशक, काजरी, जोधपुर द्वारा खेजरी के तैयार पौधों पर बडिंग करना व उनका रख-रखाव संबंधित कार्य हेतु रेट कोन्टेक्ट संविदा पर निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है इच्छुक फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अपनी निविदाएं आनलाइन भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की कार्य की दर एक बार पौधों को तैयार करने के लिये आवश्यक होगी। संविदा अनुबंध के नियमों और शर्तों के संतोषजनक अनुपालना होने पर दोनों पक्षकारों की सहमति पर दुसरी बार पौधों को तैयार करने के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. अगर निविदा खोलने के दिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी। निदेशक, काजरी किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. धरोहर राशि तथा जमानत राशि (EMD and Performance security money) पर किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।
4. निविदा खुलने के बाद निविदा शुल्क और धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित हो कर कार्य स्थल का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
6. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन (PAN) नम्बर/ ई.पी.एफ./ ई. एस.आई./सेवा कर/जीएसटी नम्बर होना चाहिए और प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के खिलाफ ई.पी.एफ./ई.एस.आई./न्यूनतम मजदूरी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का लीगलसूट/ अपराधिक मामला लम्बित नहीं होना चाहिए।
8. संविदा / ठेका कार्य की सम्पूर्ण / सभी मदों के लिए औसत न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता (एल-1) फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को ठेका कार्य दिया जायेगा।
9. सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को ठेका कार्य करने के लिए करार करने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचित करने हेतु जारी पत्र की तिथि के एक सप्ताह (7 दिन) की अवधि में संभावित कार्य आदेश की राशि का 10 प्रतिशत या एक मुश्त राशि, जैसा भी निर्देशित किया जाए, अमानत राशि (Performance Security) के रूप में बैंक डाफ्ट/बैंक गारन्टी/एफ डी आर, आदि माध्यम द्वारा द्वारा संस्थान में जमा कराना होगा, जिसकी अवधि ठेका समाप्त होने के 60 दिन पश्चात् तक वैध रहेगी। यदि फर्म/एजेन्सी/कम्पनी ऐसा नहीं करती हैं तो बिना किसी सूचना के आवांति ठेका निरस्त माना जायेगा एवं उनके द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जब्त करली जायेगी और भविष्य में उस फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
10. ठेका में शामिल किसी भी गतिविधि को मौसम सम्बन्धी कारणों / तकनीकी कारणों से समाप्त किया जा सकता है।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. बिना हस्ताक्षर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
13. सफल निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा ठेके में लगाये गये श्रमिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए। सभी श्रमिकों को हिन्दी/स्थानीय भाषा में बातचीत करने का यथा सम्भव ज्ञान होना चाहिए।
14. सी.एल. (आर एण्ड ए) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1) 1971 की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी।

15. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्द्ध-कुशल, अकुशल एवं अन्य श्रमिक आपूर्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर यथा संशोधित से कम दर को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
16. ठेका आवंटित होने के बाद इस जॉब कान्ट्रैक्ट पर सेवा कर, जीएसटी अथवा अन्य सभी देय कर ठेकेदार फर्म द्वारा चुकाये जायेंगे और संस्थान इस तरह किसी भुगतान के दावे को स्वीकार नहीं करेगी। यद्यपि सरकार के समय-समय पर जारी नियमानुसार/निर्देशानुसार सेवा कर अथवा अन्य कर जो ठेकेदार फर्म के मासिक बिल से कटौती की जायेगी।
17. श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा एवं मूलभूत सुविधाएं – जैसे पीने का पानी छाया इत्यादि फर्म द्वारा व्यवस्था करनी होगी।
18. फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संविदा, कार्य में लगाये गये मजदूरों/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान संबंधी उचित रिकार्ड रखना होगा।
19. बाल श्रमिकों को संविदा कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।
20. सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आवंटित संविदा कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मजदूरों/मशीनों / औजारों की व्यवस्था करनी होगी। विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, सुपरवाइजर के निर्देशानुसार सन्तोषजनक ढंग से कार्य सम्पन्न करना होगा।
21. फार्म में करवाए जाने वाले कृषि इत्यादि कार्य का क्षेत्रफल एवं कार्य की मात्रा/संविदा कार्य की गतिविधि का कोई भाग/कार्यांश एवं अनुमानित लागत परिवर्तित की जा सकती है।
22. किसी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर तुरन्त प्रभाव से उस संविदा श्रमिक को बदलना/वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
23. ठेकेदार फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा समय पर कार्य सम्पन्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित मद में से 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
24. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी बाहरी/असंबन्धित व्यक्ति या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए। सरकारी सम्पत्ति/फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च संबंधित फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से वसूल किया जाएगा।
25. कार्यावधि में फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आवंटित ठेका के किसी संविदा श्रमिक/मजदूर, इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा। भुगतान केवल पूर्ण किए गये कार्य का ही देय होगा।
27. संविदा कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी। भुगतान ठेके के अन्तर्गत किए गये अनुमोदित आंशिक कार्य का पार्ट बिल/मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
28. स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व प्राप्य बिल की दो प्रतियां श्रीमान् निदेशक, काजरी, जोधपुर के नाम भुगतान हेतु इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका भुगतान संबंधित पी.आई/वैज्ञानिक/ अधिकारी के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात देय होगा।
29. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जायेगी।
30. काजरी परिसर में जानवरों, पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
31. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए। अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
32. ठेकेदार को अपने श्रमिकों की सूची फार्म अधीक्षक/पी0आई0 को प्रस्तुत करनी होगी।

33. फार्म में करवाए जाने वाले कृषि एवं कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती हैं।
34. ठेकेदार द्वारा सही पद्धति से/संतोषजनक संविदा कार्य नहीं होने पर/असंतोषजनक कार्य की शिकायत पर अथवा ठेका कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर पी.आई. द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर तुरन्त प्रभाव से श्रमिक को बदलना होगा/ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। कार्य को उचित निर्देशानुसार संतोषजनक ढंग से करना होंगा। असंतोषजनक कार्यों पर उचित कटौती की जाएगी। यदि ठेकेदार/फर्म कार्य कि नियम व शर्तों व कार्य की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो ठेका कार्य को बिना कारण बताए/बिना पूर्व सूचना के बिना रद्द करने का/अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का/सुरक्षा राशि जब्त करने का, अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
35. ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
36. फार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फसल इत्यादि की बाहरी जंगली जानवरों से रक्षा हेतु व्यवस्था करनी होगी।
37. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा।
38. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
39. भुगतान समय-समय पर जो एकटिविटी पूर्ण होगी उसका भुगतान संबंधित पी0आई0/वैज्ञानिक/अधिकारी के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात किया जायेगा।
40. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे-ESI/EPF/Service Tax/GST etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका का पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के सलंग्न रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
41. यह उचित होगा कि ठेकेदार/फर्म का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत या जी. एस.टी. में पंजीकृत होना चाहिए
42. श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाएँ ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।
43. परिषद्/संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। वे केवल श्रमिक/ठेकेदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे।
44. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
45. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को एवं उसके समस्त संविदा श्रमिकों को जो काजरी परिसर में संविदा कार्य कर रहे हैं उन्हें संस्थान के सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी।
46. संविदा कार्य कार्य-आधार पद्धति (Work Contract Basis) पर आवंटित किया जायेगा।
47. सभी विवादों को निपटाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
48. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर को होगा।

-0-0-0-

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त नियम व शर्तें ध्यान से पढली है एवं इनकी अनुपालना के लिए मैं/ हम बाध्य रहूँगा/रहेंगे। किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना / कथन, एवं कार्य आदेश दिये जाने पर संविदा कार्य एवं संविदा श्रमिकों के लिए मैं/हमारी फर्म / एजेन्सी पूर्ण जिम्मेवार होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)

तकनीकी बिड

(प्रपत्र-द)

Terms and conditions of Work Contract:

1. Bud wood will be arranged from Institute farm/specified mother block and all the activities will be carried out under supervision of concerned scientist.
 2. Contract will include all the activity related to budding and aftercare like preparation of root stock for budding. Budded wood collection from specified blocks of ICAR Institute, after budding root stock maintenance, watering up to final sale, spaying of insecticides, shifting etc.
 3. Rate for the activity should be per plant basis and only successful sapling will be counted for payment.
 4. Availability of quality budwood may be less than the number of root stock supplied. Therefore only successful budded plants only will be considered for the payment.
 5. Budded plant of at least 6 inch length will be considered at the time of counting the total number of sapling.
 6. Firm will supply manpower for loading of saplings from nursery to vehicle during sale.
 7. Insecticides/fungicides will be arrange by firm
 8. Firm will be responsible for any type of mortality of seedlings during contract period.
 9. Firm cannot claim for left over rootstock seedlings of khejri in which budding is not success.
 10. Contract will be valid from date of issuing of office order till December, 2020.
-

**वित्तीय निविदा
(Financial Bid)**

सेवा में,

निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

Work Contract for Work Contract for budding and aftercare of khejri saplings on contract basis under Revolving Fund Code No. 2050 5005 के लिए संस्थान के निविदा आमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित दर प्रस्तुत किये जाते हैं:

S.no.	Name of Crop	Type of saplings	Quantity (Nos.)	Expected period of availability	Rate	Total Amount
1.	Khejri	Budded	20000	July to August 15 th 2020	@ Rs. Each	

रूपये शब्दों में :

- नोट :- 1. अनुबंध कार्य आदेश जारी होने से लेकर दिसंबर 2020 तक मान्य होगा ।
2. उपरोक्त दर में सभी प्रकार के कर दायित्व एवं अन्य खर्च सम्मिलित होंगे अर्थात् संस्थान द्वारा अन्य किसी प्रकार राशि देय नहीं होगी ।

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)